न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 57/2021 बउनवानी अनिता परिडवाल बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर
निवासी बी–23 , जय जवान अर्पाटमेंट विद्याधर नगर सै0 –1 जयपुर

GCMS No-2021/143

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
18.8.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 13.5.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जो अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ.2(100)सूकाअ/2021/887 दिनांक 19.5.2021 से लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:– **आवेदिका अनिता परिडवाल मूल निवासी 45 विज्ञान नगर रणथम्भोर रोड़ सवाईमाधोपुर ने अपने घर के सामने लगे 2 पेडो के प्राकृति रूप से टेडे हो जाने पर टूट कर गिरने से सम्भावित जनहानि की आशंका पर उक्त पेडो को कटवाने की अनुमति चाहने हेतु दिनांक 21.12.2020 एवं 14.2.2021 को जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये थे जिसपर दिनांक 25.1.2021 को हल्का पटवारी द्वारा मौका निरीक्षण किया उक्त कम मे सूचना दे कि:–** 1. उक्त पत्रों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावे। 2. उक्त पत्रों पर कार्यालय द्वारा दिनांक 21.12.2020 से 13.5.2021 तक की गयी कार्यवाही (ऑफिस नोट) की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक/सू.का.अ./2021/1992 दिनांक 28.7.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि उक्त पत्र के माध्यम से अपीलान्ट को बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 13.5.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना शुल्क जमा करवाकर प्राप्त करने हेतु तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक 1335 दिनांक 10.6.21 से अपीलान्ट को लिखा जाने के उपरान्त अपील के नोटिस की पालना मे जरिये पत्रांक 1992 दिनांक 28.7.2021 से उक्त सूचना अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। अपीलान्ट को भिजवायी गयी सूचना जो कि जवाब नोटिस के साथ संलग्न है का अवलोकन किया गया जिसमे कुल दो पृष्ठ (प्रार्थना पत्र दिनांक 21.12.2020 एवं पटवारी रिपोर्ट दिनांक 25.1.2021) की सूचना ही भिजवायी गयी है। शेष सूचना प्रार्थना पत्र दिनांक 14.2.2021 एवं उक्त पेड काटने की स्वीकृति जारी करने के संबंध मे की गयी कार्यवाही की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 14.2.2021 एवं उक्त पेड काटने की स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध मे की गयी कार्यवाही की प्रमाणित सूचना अपीलान्ट को 15 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश आज न्यायालय मे सुनवाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Rajendra Kishan Date: 2021.10.22 16:43:46 IST Reason: SelfAttested (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर